



मुख्यालय "गौरी देवी पर्यावरण भवन"
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46वीं, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून वेबसाइट: www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s K.S. Minerals, द्वारा Vill - Bhardwari Gol Pokhri, Tehsil- Gangolihat Distt- Pithoragarh में Soap Stone Mining (Area-11.160Ha.) की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के द्वारा Term of Reference (ToR) निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 यथासंशोधित 2009 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु पैनल की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है --

1. जिलाधिकारी, जिला-पिथौरागढ़।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

उद्योग द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (11.160 हेक्टर) के प्रस्ताव सम्बन्धी समस्त जमा अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय-उत्तरी क्षेत्र, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून; उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, इल्हानी, जिला-नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़; कार्यालय जिला पंचायत, पिथौरागढ़; जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़, तहसील कार्यालय मुनस्यारी एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ में उपलब्ध हैं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रतिया www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि M/s K.S. Minerals, द्वारा Vill - Bhardwari Gol Pokhri, Tehsil - Gangolihat, Distt-Pithoragarh में Soap Stone Mining (Area-11.160Ha.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में निर्धारित की गयी है। अतः जन सामान्य को सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने सुझाव मौखिक, लिखित, विचार, टीका-टिप्पणियां और आपत्तियां इस कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।